

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

14/2019/प्रा.पत्र/2019

08.04.2019

21.06.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

वनाम

..... प्रार्थी

- 1-श्री खाद्य कारोबारकर्ता श्री अमीन खॉन पुत्र मुमताज खॉन जाति मुसलमान निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक मैसर्स अमीन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स अमीन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49) अप्रार्थीगण

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 21.06.2019


संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2018 को समय सांय 2.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अमीन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री अमीन खॉन पुत्र मुमताज खॉन जाति मुसलमान निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक मैसर्स अमीन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोवार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में धनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर डी 10 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी/2018 थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.वी.ओ. श्री अमीन खॉन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अमीन खान एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में धनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम मूल पैक के लगभग 20 मूल पैक पैकड अवस्था में से 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से 4 मूल पैक धनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.वी.ओ. श्री अमीन खान को रू0 280/-अक्षरे दो सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा धनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) 500&500 ग्राम मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग चार भाग तैयार कर कागज के डिब्बों के ढक्कन को एयरटाइट बंद कर व लेबल तैयार कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



57
प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1968 दर्ज किया।
प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. I-1968 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. अमीन खान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3019 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1727/एक्ट/2018/414 दिनांक 16.11.2018 अनुसार अमीन खान से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घनिया पावडर (बॉस ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के तहत अप्रार्थी श्री अमीन खॉन पुत्र मुमताज खॉन जाति मुसलमान निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक मैसर्स अमीन किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ती 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0